

1115

आवेदन फलक

कमिश्नरी सं - 18/17-18
केस का प्रकार - विविधाका
ऑंचल - गौमिया

30/09/17
16/10/17

आवेदन - जगदीश प्रजापति उमम
- तुलबुल, पीठ - हरदिभामा; खाना - गौमिया
जिला - झारखंड द्वारा प्रेषित आवेदन का
अवलोकन किया गया आवेदन द्वारा आवेदक
माँजा - तुलबुल में खाला सं - 49 प्लॉट
सं - 1467 रकबा 09 डी मद्दी 08 1/2 डी
मेरी नाम पर निर्दिष्ट है जो गलत है
पंजी - II में खाला - 49 के स्थान पर
खाला सं - 86 दर्ज की गई है जिसके
कारण इसीद निर्गत नहीं हो रहा है
इस संबंध में मूल आवेदन एल्का
शास्य कर्मचारी एवं ऑंचल निरीक्षक
को जांच हेतु दे लक्ष्य कर, कमिश्नरी
दिनांक 20/11/17 को उपस्थापित है।

20/10/17
ऑंचल अधिकारी
गौमिया


20/11/17

कमिश्नरी उपस्थापित ।
एल्का शास्य कर्मचारी का जांच
प्रतिवेदन ऑंचल निरीक्षक के माध्यम
से प्रेषित किया गया एल्का कर्मचारी
द्वारा प्रतिवेदन किया कि खाता सं - 26
माँजा - तुलबुल के जगदीश प्रजापति के
आवेदन का जांच एल्का में उपलब्ध
पंजी - II एवं सर्वे स्वतंत्रान से जांच किया
गया कि पंजी - II के पुस्तक सं


138/V पर शकाल सं० - 86 शकाल - 08 1/2 डी
 मान - 2 = 10 रूपये जगदीश पुजापति पिता
 - लालमोहन पुजापति के नाम से वर्ष -
 2009-10 तक सरकारी रसोई मिर्गट
 द्वारा है विक्रेता श्री गति वासी के
 प्रति मोला कुम्हार के द्वारा क्रेता श्री
 जगदीश पुजापति पिता - लालमोहन पुजापति
 के नाम से शकाल - 49 जल सं० - 1467
 शकाल - 08 1/2 डी के काला द्वारा दायित्व
 है रसोई मिर्गट है पंजी - 11 है लिपिकारी
 मुल के कारण शकाल सं० - 86
 लिखा गया है इसकी सूचार काल
 शकाल सं० - 49 काल है दु दालका जग
 कोश अनुशोभा पिता गभा है इस
 संकेत मुल जगजगल के साथ उपस्थित
 होने हेतु न्यायद्वय को गौटिका मिर्गट
 को तत्पश्चात् न्यायद्वय दिनांक -
 13/12/17 को उपस्थापित करें।

जगदीश पुजापति
 लालमोहन पुजापति
 मोला कुम्हार

13/12/17


 लीचल आदेशापी
 गोमिया

लालमोहन उपस्थापित
 जगदीश पुजापति के द्वारा अपनी उपस्थापित
 दर्ज कराई गई। लालमोहन पुजापति के जन्म शक
 में व्यवस्था रहने के कारण वाड की वसुधाई
 नहीं की जा सकी तत्पश्चात् न्यायद्वय
 दिनांक 27/12/17 को उपस्थापित करें।


 लीचल आदेशापी